

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022

दिनांक 29/05/2025

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्या:41/छ:-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 28.05.2025 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना सादात पुलिस द्वारा 02 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 03 अदद चोरी की मोटरसाईकिल बरामद ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.05.2025 को उ0नि0 हरिहर प्रसाद मिश्रा व उ0नि0 सुरेन्द्र राम मिश्रा मय पुलिस फोर्स के द्वारा 02 अभियुक्तों प्रवीण यादव उर्फ छोटू यादव एवं आशु यादव को कट्या चट्टी सादात से गिरफ्तार किया गया । जिनके कब्जे से 03 अदद चोरी की मोटरसाईकिल बरामद की गई । उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 97/2025 धारा 303(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 90/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण -

1. प्रवीण यादव उर्फ छोटू यादव पुत्र उमरनाथ यादव निवासी ग्राम आतमपुर छपरा थाना सादात जनपद गाजीपुर उम्र 22 वर्ष

2. आशु यादव पुत्र सहादुर यादव निवासी ग्राम आतमपुर छपरा थाना सादात जनपद गाजीपुर उम्र 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 97/2025 धारा 303(2)/3(5)/317(2)/319(2)318(4)/338/336(3) बीएनएस थाना सादात जनपद गाजीपुर

2.मु0अ0सं0 90/2025 धारा 303(2)/3(5)/317(2)/319(2)318(4)/338/336(3) बीएनएस थाना सादात जनपद गाजीपुर

बरामदगी विवरण-

1.हीरो होण्डा पैशन प्लस लाल काला रंग बिना नम्बर प्लेट चेचिस न. MBLHA10EL99J13138 इंजन न. HA10EB99J15360

2.हीरो स्प्लेण्डर प्लस काला रंग बिना नम्बर प्लेट चेचिस न. MBLHAW238PHFC3688

3.होण्डा CD ड्रीम योगा रजि न. DL3SDR7215 चेचिस न. ME4JC675EH8001869 इंजन न.

JC67E84015499

02. श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर पॉक्सो एक्ट के मुकदमे के अभियुक्त को 04 वर्ष का कारावास व 15,000/-रु0 अर्थदण्ड, की मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा।

दिनांक 28.05.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 299/16 धारा 452, 354(ख) भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त सिद्धुराम पुत्र अर्जुन राम ग्राम बौरी थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा- 452 भादवि में 02 वर्ष का कारावास व 5000/-रु0 अर्थदण्ड , 7/8 पॉक्सो एक्ट में 04 वर्ष का कारावास व 10000/-रु0 अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया ।

03.थाना जमानियाँ गाजीपुर पुलिस द्वारा 01 नफर वांछित/ वारण्टी को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान वांछित/वारंटियों की गिरफ्तारी के तहत आज दिनांक 28.05.2025 को उ0नि0 विजय बहादुर सिंह मय हमराह द्वारा वारण्टी अभियुक्त. जयप्रकाश यादव पुत्र बालेश्वर यादव नि0 हरपुर थाना जमानियां जनपद गाजीपुर के घर ग्राम हरपुर से नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लेकर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. जयप्रकाश यादव पुत्र बालेश्वर यादव नि0 हरपुर थाना जमानियां जनपद गाजीपुर उम्र करीब 55 वर्ष
आपराधिक इतिहास-

दण्डवाद 1155/17 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जमानिया गाजीपुर (मा0 न्यायालय न्यायालय JM-6
गाजीपुर)

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर